

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - डॉ. साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 101/2024

1. श्रीमती देवकौर पत्नी श्री सोहनसिंह जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम मोतीसिंह का अड्डा रूंध मजरा पचगांव तहसील व जिला धौलपुर वादिया
बनाम

1. गुरुदयाल सिंह पुत्र श्री करनैलसिंह
2. जगदीश सिंह पुत्र श्री करनैलसिंह
3. ज्ञानसिंह पुत्र श्री करनैलसिंह
4. प्रीतमसिंह पुत्र श्री करनैलसिंह
5. बलिहारसिंह पुत्र श्री करनैलसिंह
समस्त जातिगण जाट सिक्ख निवासीगण ग्राम बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
6. करमजीत सिंह पुत्र श्री बख्शीश सिंह
7. सुखदेव सिंह पुत्र श्री बख्शीश सिंह
8. मु0 सुखजिन्दर कौर पुत्री श्री बख्शीश सिंह
जातिगण जाट सिक्ख निवासीगण ग्राम बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
9. सोहनसिंह पुत्र श्री मलूक सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
10. धमेन्द्र सिंह धढ्ढा पुत्र श्री हरभजनसिंह धढ्ढा जाति पंजाबी निवासी सरदार पुरा बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
11. जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री भागसिंह
12. दलवीर सिंह पुत्र श्री भागसिंह
13. बलजिन्दर सिंह पुत्र श्री भागसिंह
14. मु0 जसविन्दर कौर पत्नी श्री भागसिंह
समस्त जातिगण जाट निवासी ग्राम बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
15. मनमिन्दरदीप सिंह पुत्र श्री अमरीक सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर
16. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरीभजन सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी ग्राम सरदारपुरा बसई सामन्ता तहसील व जिला धौलपुर असल प्रतिवादीगण
17. पंजाब नेशनल बैंक शाखा धूलकोट धौलपुर तामील जरिये शाखा प्रबंधक
18. राजस्थान राज्य तामील जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील धौलपुर
----- तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट वास्ते
बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

दिनांक 18.07.2025

वादिया ने विरुद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 11.11.2024 को एक राजस्व वाद बाबत बटवारा काश्त एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में पेश किया। जो दिनांक 06.05.2025 को बाद तहकीकात उभयपक्ष की सहमति से दावा प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया, तथा तहसीलदार धौलपुर से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। तहसीलदार धौलपुर ने पत्रांक 541 से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में प्रेषित किये। तहसीलदार धौलपुर के द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई, वकील उभयपक्ष ने विभाजन


उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

प्रस्ताव पर अपनी सहमति जाहिर की, एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा वादिया डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही है। वकील वादिया एवं प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की है। ऐसी स्थिति में दावा वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादिया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर पक्षकारों को विवादित आराजी खसरा नम्बर 3431, 3447, 3449, 3450, 3456, 3457, 3458, 3460, 3461, 3462, 3463, 3469, 3473, 3474, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3506, 3510, 3511 बाकैँ ग्राम रूंध तहसील व जिला धौलपुर में निम्नानुसार पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकवा	किस्म
1. देवकौर पत्नी सोहनसिंह हि० पूर्ण जाति जाट सिख सा० मोतीसिंह रूंध पचगांव खातेदार	3506 / 1	0.2529 है०	नहरी प्रथम
2. मनमिन्दरदीपसिंह पुत्र अमरीकसिंह हि० 1/2 सोहनसिंह पुत्र मलूकसिंह हि० 1/2 जातिगण पंजाबी जाट सा० बसई सामन्ता खातेदार	3498 3497 3431 3449 3457 3461 3462 3463 3450 / 2 3506 / 2 3474 3473 3460 3458 3447 3510 / 2 3511 / 2 3450 / 3	0.4046 है० 0.1770 है० 0.3161 है० 0.2908 है० 0.1770 है० 0.1265 है० 0.1517 है० 0.2150 है० 0.0253 है० 0.4552 है० 0.1517 है० 0.1644 है० 0.1644 है० 0.2023 है० 0.0632 है० 0.2529 है० 0.0633 है० 0.1138 है०	नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम
1. गुरुदयालसिंह हि० 39/231, जगदीश सिंह हि० 39/231, ज्ञानसिंह हि० 39/231 प्रीतमसिंह हि० 39/231 बलिहारसिंह हि० 12/77, पुत्रान करनैलसिंह, व जसविन्दर कौर पत्नि हि० 39/924, जितेन्द्रसिंह पुत्र हि० 39/924, दलवीरसिंह पुत्र हि० 39/924, 3450/1 बलजिन्दरसिंह पुत्र हि० 39/924, पि० भागसिंह जातिगण पंजाबी जाट सा० बसई सामन्ता खातेदार, ज्ञानसिंह हि० 1/7 राहिन पी.एन.बी. बैंक शाखा धूलकोट	3495 3496 3499 3456 3469 3450 / 1 3510 / 1 3511 / 1	0.3035 है० 0.1897 है० 0.1644 है० 0.2403 है० 0.4426 है० 0.2276 है० 0.2529 है० 0.0632 है०	नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम नहरी प्रथम


उपखण्डाधिकारी पदेन
 सहायक क्लर्क मुख्यालय
 धौलपुर (राज०)

कुल किता 27 कुल रकवा 5.6523 हैक्टेयर बाकै ग्राम रूंध तहसील व
जिला धौलपुर कुल लगान 22.62 रूपये।

उपरोक्तानुसार ही पक्षकारों के खाते एवं लगान पृथक- पृथक कायम किये
जाने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बैंकों के राहिन के इन्द्राज
बदस्तूर रखे जावे। विवादित आराजी के कुल लगान 22 रूपये 62 पैसे के बीस गुना राशि
पर देय मुद्रांक कर 45 रूपये 24 पैसे के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री
जारी हो पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.07.2025 को खुले न्यायालय
मे सुनाया गया।

(डॉ साधना शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी पतेन
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)